On IIA’s recommendation, U.P. Pollution Control Board has agreed to implement “Samadhan Yojna” for SSI for obtaining Air & Water consent. The scheme is open till **31 March 2007 only**. Details are as under.

उद्यमियों हेतु सहमति प्राप्त करने हेतु समाधान योजना
कार्यालयः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सन्दर्भ संख्या- जी.ओ.१५०८/सी-६/जी-३६/समाधान योजना/०७
दिनांक- २५.१.२००७

उ०प्र० के समस्त लघु उद्योगों को सूचित किया जाता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,१९८१ के अन्तर्गत प्रत्येक उद्योग को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
एतद् द्वारा समस्त लघु उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्होने जल/वायु अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं की है तो समाधान योजना के अन्तर्गत दिनांक ३१.३.२००७ तक जल एवं वायु सहमति हेतु प्रक्रिया शुल्क सहित आवेदन कर दे।
इस समाधान योजना के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा केवल प्रक्रिया शुल्क ही जमा करना होगा तथा पूर्व वर्षो में डिफाल्ट हेतु कोई पेनाल्टी नहीं लगायी जायेगी। इस सम्बंध में आवेदक, जिला उद्योग केन्द्र से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदक को अपना आवेदन प्रक्रिया शुल्क (सहमति शुल्क) के साथ जिला उद्योग केन्द्र पर दिनांक ३१.३.२००७ तक जमा करना होगा।
इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बोर्ड के पिकप भवन, बी-ब्लाक, तृतीय तल, विभूति खन्ड,गोमती नगर, लखनऊ स्थित मुख्यालय से तथा बोर्ड के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आगरा,इलाहाबाद,मथुरा, अलीगढ़,फैजाबाद,बरेली,रायबरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोयडा, मेरठ, सहारनपुर,आजमगढ़, स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
अतः समस्त लघु उद्यमियों से अनुरोध है कि समाधान योजना का लाभ उठाये तथा प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड